संख्याः 398/VII-II-11/125–उद्योग/2006

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

देहरादून. दिनांकः 30, मार्च, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2010–11 में ऊन बैंक की स्थापना योजना हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक उद्योग निदेशालय के पत्र संख्याः 5582/उ0नि0(दो)–06/बजट–जि0यो0/2010–11 दिनांक 14 फरवरी, 2011 एवं शासनादेश संख्याः 1127/VII-II-10/125–उद्योग/2006 दिनांक 19 अप्रैल 2010 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **वित्तीय वर्ष 2010–11 में ऊन बैंक की स्थापना योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि ₹9.31 लाख (₹ नौ लाख इकत्तीस हजार मात्र)** की धनराशि को जनपद उत्तरकाशी हेतु व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उसी मद में किया जाये जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2011 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03.2011 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4– धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजना जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जनपदवार अनुमोदित प्लान परिव्यय एवं अनुमोदित योजनाओं पर ही व्यय की जा रही है।

5– उक्त जिला योजना में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परिव्यय/योजनाओं के अनुरूप ही सैक्टरवार व्यय किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परिव्यय/योजनाओं के अनुरूप ही सैक्टरवार व्यय किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः187/XXVII(1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 में उल्लिखित निर्देशानुसार किया जायेगा।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–31 के मुख्य लेखाशीर्षक, 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 105–खादी ग्रामोद्योग, 01–अनुसूचित जनजाति उप योजना–00, 06–ऊन बैंक की स्थापना, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 1005/XXVII(1)/2010 दिनांक 29 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 398/VII-II-11/125–उद्योग/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरकाशी।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
6. निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
8. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तरकाशी।
9. अपर सचिव, वित्त (बजट)/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
10. अपर सचिव, समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. वित्त अनुभाग–2
13. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।